राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपं. 56 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 399 दिनांक :– 25/05/2022

–::कार्यालय आदेश::–

Susheela Institute Of Paramedical Sciences, Navalgarh, Jhunjhunu. को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 27.11.2015 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटो की अस्थाई मान्यता दी गई थी। राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम / विनियम 2014 के Part XV Rule 53(1)A के प्रावधानों की अनुपालना में मान्यता प्राप्ति के 05 वर्ष उपरान्त स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 18.08.2021 को कराये गये निरीक्षण एवं पत्रावली के परीक्षण उपरान्त आपके संस्थान में पाई गई कमियो के संबंध में इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 372 दिनांक 19.05.2022 दिया जाकर नोटिस में वर्णित निम्न बिन्दुओ पर व्यक्तिशः कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा गया।

1. In Clinical Facility, Institute is not having Adequate lab test as per norms.
2. Institute in not having its own building even after 5 year of recognition .
3. Institute in not having its own hospital/Lab
4. Institute not having fire NOC Certificate.

उपरोक्त नोटिस के लिखित जवाब में संस्था के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित कथन निम्नांनुसार बिन्दुवार प्रस्तुत किया है।

1. संस्था का भवन का मालिकाना हक श्रीमति प्रमोद कॅवर पत्नि श्री विजेन्द्र सिह शेखावत का था जो वर्तमान में संस्था की पार्टनरशिप फर्म में संस्था के हिस्सेदार है, तथा इस हिस्सेदारी की एवज में श्रीमति प्रमोद कॅवर ने अपना भवन संस्था की पार्टनरशिप फर्म में आहूत किया है।
2. माह अप्रेल 2022 की कुल रोगी संख्या 1024 है जिनके बायोकेमेस्ट्री, पैथोलोजी, माइक्रोलोजी के कुल टेस्ट की संख्या लगभग 8287 है।
3. जांगिड हॉस्पिटल जिसका मालिकाना हक दयाशंकर जांगिड पुत्र श्री भैराराम के पास है संस्था की पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदार है जिन्होने अपनी पार्टनरशिप के एवज में हॉस्पिटल उक्त फर्म में संस्था के प्रयोग हेतु आहूत किया है।
4. फॉयर एनओसी के संबंध में हमे पूर्व में ज्ञान नहीं था, नाही कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर अन्य परफोर्मा में इसका उल्लेख है महोदय से निवेदन है की फायर एनओसी के लिए आवेदन कर दिया गया है एवं यथाशीध्र उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है।

इस संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध रिकार्ड, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान / कॉलेज को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 27.11.2015 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटो की अस्थाई मान्यता दी गई थी, तथा राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम / विनियम 2014 के Part XV Rule 53(1)A के प्रावधानों की अनुपालना में मान्यता प्राप्ति के 05 वर्ष उपरान्त स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि संस्थान जिस भूमि/भवन पर वर्तमान में संचालित है उस भूमि/भवन का पार्टनरशिप डीड दिनांक 27.09.2021 में वर्णित पार्टनर श्रीमति प्रमोद कॅवर का मालिकाना हक है। उक्त भूमि/भवन पार्टनर श्रीमति प्रमोद कॅवर की व्यक्तिगत सम्पति होने के कारण उक्त संस्थान Susheela Institute of Paramedical Sciences, Navalgarh, Jhunjhunu को स्वंय की भूमि/भवन में स्थानान्तरित/शिफ्ट नहीं माना जा सकता तथा इस हेतु संस्थान ने कौंसिल से इस बाबत् अनुमति भी नहीं ली है।

इसके अतिरिक्त संस्था का संचालन भी पार्टनरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है, एवं पार्टनर भी समय–समय पर परिवर्तित होना पाया गया है। संस्था को मान्यता विनायक चिकित्सालय नवलगढ की चिकित्सा सुविधाओ को मध्येनजर रखते हुऐ दी गई थी किन्तु संस्थान द्वारा अपने लिखित जवाब के बिन्दु संख्या 3 में जांगिड अस्पताल को संस्थान का अस्पताल बताया है, जो पार्टनरशिप डीड के एक पार्टनर का होना अवगत करवाया है। उक्त अस्पताल/लैब संस्था का स्वंय का होना नहीं पाया गया है। संस्थान द्वारा अपने लिखित जवाब के बिन्दु संख्या 4 में Fire Safety NOC अभी तक लिया जाना नहीं पाया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्य के आलोक में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 नियम/विनियम 2014 संशेाधित विनियम 2015 का संस्था द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, एक्ट 2008 की धारा 29 की शक्तियो का प्रयोग करते हुये Susheela Institute of Paramedical Sciences, Navalgarh, Jhunjhunu को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 27.11.2015 से डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी, हेतु दी गई मान्यता आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 से वापिस (Withdraw) ली जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपं. 56/पैरामेडि.कौ/मान्यता/2022/399 दिनांकः– 25/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधानाचार्य, (Susheela Institute of Paramedical Sciences, Navalgarh, Jhunjhunu.)
2. लेखा/काउन्सलिग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
3. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार